मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार आरएएस

राजस्व वाद संख्या :– 086/2024

1. रणजीत सिंह पुत्र मिठुसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

बनाम

1. कौरसिंह पुत्र बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. गुरमेल सिंह पुत्र बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. पालासिंह पुत्र बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. सादूलसिंह पुत्र बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :–88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय

दिनांक :– 12·6·2024

वादी की ओर से श्री महेश कुमार गौड़ शर्मा अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री सुनील शर्मा अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को संजय कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वाद पत्र में वर्णित चक नम्बर 10 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 33/88 मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज [illegible]53 हैक्टर आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित [illegible] खाता सं0 33/88 में से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का नाम कलम[illegible] किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 11:04:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया जाकर नगीन कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 12.6.024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
गों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
का की तामिल	---		
	---	योग	---

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 11:04:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner